



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1944 (श०)  
(सं० पटना 1077) पटना, बुधवार, 14 दिसम्बर, 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना  
14 दिसम्बर, 2022

सं० वि०स०वि०-21/2022-3966/वि०स०—“बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-14 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,  
पवन कुमार पाण्डेय,  
प्रभारी सचिव।

बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022

[विंस०वि०-15 / 2022]

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समयसमय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना।— चूँकि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समयसमय पर यथा संशोधित) की धारा.4(1) (घ) में “आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गमी लोकायुक्त” को लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति का सदस्य बनाया गया है;

और चूँकि उक्त अधिनियम की धारा.4(1) (घ) को और अधिक स्पष्ट किया जाना समीचीन है और इसके लिए उक्त अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है;

इसलिए, अब भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम ‘बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2022’ कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) की धारा. 4(1)(घ)का संशोधन :—

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) धारा.4 (1)(घ) में प्रयुक्त शब्दों “आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गमी लोकायुक्त” को “आसन्न पूर्ववर्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

#### उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि “बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011” (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समयसमय पर यथा संशोधित) के धारा.4(1) (घ) में प्रयुक्त शब्दों “आसन्न उत्तरजीवी बहिर्गमी लोकायुक्त” को और अधिक स्पष्ट करने हेतु उक्त शब्दों को “आसन्न पूर्ववर्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है। इसके लिए बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) की धारा-4(1)(घ) में संशोधन करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

नीतीश कुमार,  
भार-साधक सदस्य

पटना,  
दिनांक—14 दिसम्बर, 2022

प्रभारी सचिव  
बिहार विधन सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1077-571+50-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>